



Neutral Citation No. 2026:AHC-LKO:42463

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****दांडिक प्रकी. जमानत आवेदन सं. - 3437 वर्ष 2026**

आदिल उर्फ आदिल अहमद

.... आवेदक (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, लखनऊ

..... विरोधी पक्षकार (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

: जय कृष्ण शुक्ला

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता

: शा.अधि., रामाकार शुक्ला

न्यायालय सं. - 16**माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह**

आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान् अ.शा.अधि. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

प्रस्तुत जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध सं. 140 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 2/3, उ. प्र. गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 (एतदपश्चात् 'अधिनियम, 1986' के रूप में निर्दिष्ट), पुलिस थाना - मधुता, जिला - प्रतापगढ़, में विचारण के दौरान जमानत पर छोड़े जाने की मांग के दाखिल दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। वह निवेदन करते हैं कि आवेदक के विरुद्ध गैंग

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चार्ट में एक मामला दर्शित किया गया है, जिसमें उसे जमानत पर छोड़ा गया है। इस मामले के सिवाय, आवेदक का कोई और आपराधिक इतिहास नहीं है।

अग्रेतर निवेदित किया गया है कि आवेदक के विरुद्ध सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान डालने और असम्यक् सामयिक, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ उठाने के अभिकथन अस्पष्ट और मनगढ़ंत हैं। अग्रेतर निवेदित किया है प्रथम सूचना रिपोर्ट का वर्णन, स्पष्ट करता है कि अभिकथन लंबित आपराधिक मामलों पर आधारित हैं, और नए अभिकथन (नों) या ऐसे तथ्य (यों) की खोज पर जिनका वृहत् समाज पर गंभीर पड़ता है, पर नहीं, जिसके लिए अधिनियम, 1986 लागू किया गया था। उन्होंने कहा है कि पुलिस, अधिनियम, 1986 के उपबंधों का आवेदक को परेशान करने और डराने-धमकाने के हथियार के रूप में प्रयोग कर रही है, और अग्रेतर, यह भी प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन ने अच्छा कार्य दर्शित करने या उच्चतर प्राधिकारियों से प्रशंसा पाने के लिए अधिनियम के उपबंधों का आश्रय लिया है, जो अवांछित और अन्यायोचित है।

अग्रेतर तर्क देते हुए, वह निवेदन करते हैं कि आवेदक किसी भी असामाजिक गतिविधि में सम्मिलित नहीं है और वह किसी गैंग का सदस्य या नेता भी नहीं है।

अग्रेतर निवेदित किया गया है कि आवेदक 14.10.2025 से जेल में बंद है, और वह अधिनियम वर्ष 1986 के अधीन अपराध का दोषी नहीं है, वह वचनबंध करता है कि जमानत पर रहने के दौरान वह कोई अपराध नहीं करेगा, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ या साक्षियों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा, और जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विचारण कार्यवाहियों में सहयोग करेगा। इसलिए, निवेदन है कि आवेदक जमानत के लिए अधिकृत है।

इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अ.शा.अधि.ने उपर्युक्त तर्कों का विरोध किया है, किन्तु उन्होंने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है कि गैंग चार्ट में उल्लिखित मामले(लों) में (गैंग चार्ट में उल्लिखित से भिन्न मामलों) में आवेदक जमानत पर है।

पक्षकारों के विद्वान विद्वान् अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों को देखने के बाद, यह स्पष्ट होता है कि आवेदक 14.10.2025 से जेल में बंद है, उसके आपराधिक इतिहास के बारे में स्पष्ट किया गया है और उसने वचनबंध किया है कि वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। दोनों ओर के विद्वान विद्वान् अधिवक्ताओं के निवेदनों, अभियोग की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, समर्थनकारी साक्ष्यों की प्रकृति, आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथमदृष्ट्या संतुष्टि, दंड के सुधारात्मक सिद्धांत और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपर्युक्त मामला पाता हूँ।

उपर्युक्त उल्लिखित अपराध में सम्मिलित आवेदक - आदिल उर्फ आदिल अहमद को, उसके संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि की दो, प्रत्येक समान राशि के, प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ, जमानत पर छोड़ दिया जाए:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(1) आवेदक अन्वेषण या विचारण के दौरान साक्षियों को धमकी/ दबाव डालकर या अन्यथा अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

(2) आवेदक इस प्रभाव का एक वचनबंध देगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए नियत दिनांक पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। वह नियत की गई प्रत्येक दिनांक पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। किसी पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है;

(3) आवेदक, (i) मामला आरंभ होने, (ii) आरोप विरचित करने और (iii) धारा 313, दं.प्र.सं. के अधीन कथन अभिलिखित करते समय, विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा; और

(4) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82, दं.प्र.सं. के अधीन उद्घोषणा जारी की जाती है, और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत दिनांक पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के अधीन उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही आरंभ करेगा।

प्रतिभुओं की पहचान, प्रास्थिति और निवास प्रमाण का, संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापन किया जाएगा और उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय जमानत निरस्त करने और आवेदक को जेल भेजने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में किए गए संप्रेक्षण केवल इस जमानत आवेदन के निस्तारण तक ही सीमित हैं और इन्हें मामले के गुणावगुण पर किसी प्रकार का प्रभाव डालने वाला नहीं माना जाना चाहिए।

जून 30, 2026

एमकेएस

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।